



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072026-274551
CG-DL-E-16072026-274551

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203]
No. 203]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2026/आषाढ 19, 1948
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2026/ASHADHA 19, 1948

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2026

सं. एसएल-11/01/2023- टीएंडपी.— कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई), भारत सरकार की कौशल विकास क्रेडिट प्रत्याभूति निधि स्कीम (सीजीएफएसएसडी) से संबंधित अधिसूचना संख्या 8-8/2014-एसडी एंड ई (खंड II) दिनांक 20.11.2015 के अध्याय VI के पैरा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस प्रयोजन के लिए गठित निधि, अधिसूचना संख्या एसएल-11/01/2023-टीएंडपी दिनांक 09.07.2024 द्वारा किए गए संशोधनों को विलय करके और मूल स्कीम में कुछ अन्य संशोधनों को अंतर्विष्ट करके परिवर्तित स्कीम को अधिसूचित करता है।

यह अधिसूचना कौशल विकास क्रेडिट प्रत्याभूति निधि स्कीम (सीजीएफएसएसडी) संबंधी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करेगी और इस अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगी:-

अध्याय 1

परिचय

1. नाम और प्रारंभ की तारीख

- परिवर्तित स्कीम को 'कौशल विकास क्रेडिट प्रत्याभूति स्कीम (सीजीएफएसएसडी)' के नाम से जाना जाता रहेगा।
- परिवर्तित स्कीम भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. ऋण सीमा

इस स्कीम के अंतर्गत ऋण की न्यूनतम और अधिकतम सीमा बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति और/अथवा तृतीय पक्ष प्रत्याभूति के क्रमशः 5000 रुपये और 7,50,000 रुपये होगी। तथापि, निधि के पास आवश्यकतानुसार ऋण सीमा को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

3. ब्याज दर

सदस्य ऋण दाता संस्था, द्वारा प्रभारित किया जाने वाला ब्याज दर बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक) के लिए बाह्य बेंचमार्क उधार दर (ईबीएलआर) से 1.5% प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एनबीएफसी-एमएफआई) और लघु वित्त बैंकों के लिए 20% प्रति वर्ष (निधि के की प्रबंधन समिति द्वारा यथा निर्णीत समय-समय पर आगे के परिवर्तनों के अधीन) होना चाहिए।

4. परिभाषाएं

इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए –

- i. **“कौशल ऋण और कौशल ऋण स्कीम”**- कौशल ऋण वह ऋण हैं जो ऋण दाता संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) से संरेखित पाठ्यक्रमों और/या गैर-एनएसक्यूएफ संरेखित कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। ये पाठ्यक्रम एमएसडीई के स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जाते हैं। कौशल ऋण स्कीम का आशय समय-समय पर यथा परिवर्तन ‘कौशल विकास क्रेडिट प्रत्याभूति निधि स्कीम’ से है।
- ii. **“चूक राशि”** का आशय, अधिकतम ‘प्रत्याभूति सुरक्षा’ के अध्यधीन प्रत्याभूति सुरक्षा पर किए गए किसी दावे के लिए उधार लेने वाले के ऋण खाते (खातों) में खाते के एनपीए होने की तारीख को प्रोद्भूत ब्याज सहित अथवा दावा आवेदन करने की तारीख को बकाया ऋण राशि, जो भी कम हो, अथवा ऐसी कोई राशि जिसे ‘निधि’ निर्दिष्ट करे, उससे है।
- iii. **“बाह्य बेंचमार्क उधार दर (ईबीएलआर)”**– आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर.डीआईआर बीसी.संख्या 14/13.03.00/2019-20 दिनांक 4 सितंबर, 2019 के अनुसार, ईबीएलआर को बैंकों द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर, 2019 से दिए जाने वाले व्यक्तिगत या खुदरा ऋणों के लिए सभी नई फ्लोटिंग दर और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को दिए जाने वाले फ्लोटिंग दर ऋणों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिन्हें निम्नलिखित में से किसी एक बेंचमार्क पर आधारित किया जाएगा:
 - भारतीय रिज़र्व बैंक की नीतिगत रेपो दर
 - भारत सरकार के 3 महीने के ट्रेजरी बिल की यील्ड जो फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा प्रकाशित की जाती है।
 - भारत सरकार के ट्रेजरी बिल की 6 महीने की यील्ड जो एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित की जाती है।
 - एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित कोई अन्य बेंचमार्क बाजार ब्याज दर।
- iv. **“पात्र उधारकर्ता”** का आशय भारतीय राष्ट्रीयता वाले ऐसे नए या मौजूदा उधारकर्ता से है जो राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) संरेखित पाठ्यक्रमों और/या एमएसडीई के स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित गैर-एनएसक्यूएफ पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम अर्हता मानदंडों को पूरा करता है और जिसने ऋण प्राप्त करने के लिए ऋण दाता संस्था के साथ ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया है। यदि छात्र अवयस्क है, तो माता-पिता दस्तावेजों को निष्पादित करेंगे, लेकिन ऋणदाता छात्र के वयस्क होने पर उससे स्वीकृति/पुष्टि पत्र प्राप्त करेगा। माता-पिता/अभिभावक सह-उधारकर्ता होंगे।
- v. **“संपार्श्विक प्रतिभूति”** का आशय, उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता की वैयक्तिक देयता के अतिरिक्त उपलब्ध कराई गई प्रतिभूति से है।

- vi. "निधि" का आशय पात्र उधारकर्ता को ऋणदाता संस्था (संस्थानों) द्वारा प्रदान किए गए कौशल ऋण को अदा न किए जाने की स्थिति में प्रत्याभूत करने के प्रयोजन से भारत सरकार द्वारा स्थापित 'कौशल विकास क्रेडिट प्रत्याभूति निधि' से है।
- vii. "प्रतिभू" का आशय बैंक को स्वीकार्य ऐसे व्यक्ति से है जो कौशल ऋण वापस न कर पाने की स्थिति में कौशल ऋण के पुनर्मगतान की प्रत्याभूति देता है।
- viii. "प्रत्याभूति कवर" का आशय, ऋणदाता संस्था द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट सुविधा के संबंध में चूक राशि के लिए प्रति पात्र उधारकर्ता को उपलब्ध अधिकतम कवर से है।
- ix. "सदस्य ऋण दाता संस्था(एं)" का आशय अनुसूचित बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और लघु वित्त बैंक) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (एनबीएफसी-एमएफआई) से है जो इस स्कीम के तहत नैशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) के साथ पंजीकृत हैं।
- x. "महत्वपूर्ण तारीख" का आशय ऐसी तारीख से है जिस तारीख को पात्र उधार लेने वाले के संबंध में कवर की गई राशि पर प्रत्याभूति शुल्क, संस्था द्वारा "धनराशि" को देय हो जाता है।
- xi. "गैर-निष्पादक परिसंपत्ति" का आशय ऐसी परिसंपत्ति से है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों और दिशा-निर्देशों के आधार पर गैर-निष्पादक के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।
- xii. "स्कीम" का आशय कौशल विकास क्रेडिट प्रत्याभूति निधि स्कीम से है।
- xiii. "एनसीजीटीसी" का आशय शिक्षा- ऋण, कौशल विकास ऋण तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर स्थापित की जाने वाली किन्हीं अन्य निधियों के लिए क्रेडिट प्रत्याभूति निधियों को संचालित करने हेतु न्यासी के रूप में कार्य करने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2014 को स्थापित राष्ट्रीय क्रेडिट प्रत्याभूति न्यासी कंपनी से है।
- xiv. "लॉक-इन-पीरियड" का आशय उस अवधि से है जिसके दौरान गारंटी लागू करने की कोई मांग नहीं की जा सकती है। गारंटी कवर शुरू होने की तिथि या स्थगन अवधि (मोरेटोरियम) की समाप्ति, जो भी बाद में हो, उससे 3.0 लाख रुपये तक के ऋण के लिए लॉक-इन-पीरियड 6 महीने और 3.0 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए 12 महीने होगी।
- xv. तदनुसार, सीजीएफएसएसडी के प्रचालन से संबंधित सभी मामलों पर एनसीजीटीसी द्वारा पूर्वोक्त निधि न्यास की ओर से कार्रवाई की जाएगी।

अध्याय II

स्कीम का विस्तार और सीमा

5. निधि द्वारा प्रत्याभूतियां

- i. इस स्कीम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, 'सदस्य ऋणदाता संस्था' (एमएलआई), जिसने एनसीजीटीसी के साथ इस प्रयोजन के लिए आवश्यक करार किया है, द्वारा किसी पात्र उधार लेने वाले को प्रदान किए गए 5,000/- रु. से 7,50,000/- रु. तक के कौशल ऋणों के संबंध में एनसीजीटीसी, ऋणदाता संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए कौशल ऋण की वापसी में चूक होने पर प्रत्याभूति उपबंधित करने के लिए वचनबद्ध है।
- ii. एनसीजीटीसी के पास ऋणदाता संस्था द्वारा भेजे गए किसी प्रस्ताव, जो स्कीम के मानकों को अन्यथा संतुष्ट करता हो, को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

6. इस स्कीम के अंतर्गत पात्र कौशल ऋण

निधि, किसी पात्र उधार लेने वाले को एनसीजीटीसी के साथ करार किए जाने पर अथवा किए जाने के बाद 'सदस्य ऋणदाता संस्था (संस्थानों)' द्वारा बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति और/अथवा तृतीय पक्ष प्रत्याभूति के प्रदान किए गए कौशल ऋण कवर करेगी, बशर्ते कि,

- i. पाठ्यक्रम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), पालिटेक्निक्स द्वारा चलाया जाता हो अथवा केंद्रीय या राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी कालेज में, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)/सेक्टर कौशल परिषदों, राज्य कौशल मिशन, राज्य कौशल निगम से संबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा इस प्रकार चलाया जाता हो कि अधिमानतः ऐसे संगठन द्वारा राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढाचा (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री जारी की जाएगी। भारत सरकार/राज्य सरकार समय-समय पर संस्थानों/संगठनों को इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित कर सकती है।
राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढाचा (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप उल्लिखित प्रशिक्षण संस्थानों (6.1 में) द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रम, कौशल ऋण के अंतर्गत आएंगे। कोई न्यूनतम पाठ्यक्रम अवधि नहीं है।
इसके अतिरिक्त, एमएसडीई के स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) पोर्टल पर सूचीबद्ध गैर-एनएसक्यूएफ-संरेखित पाठ्यक्रम भी इस स्कीम के अंतर्गत आएंगे, और इसके लिए कोई न्यूनतम पाठ्यक्रम अवधि निर्धारित नहीं है।
- ii. ऋणदाता संस्था अप्रैल-जून, जुलाई-सितंबर, अक्तूबर-दिसंबर और जनवरी-मार्च तिमाही में संवितरित कौशल विकास ऋण के संबंध में अगली तिमाही अर्थात् क्रमशः जुलाई-सितंबर, अक्तूबर-दिसंबर, जनवरी-मार्च और अप्रैल-जून के समापन से पहले प्रत्याभूति कवर के लिए आवेदन करती है।
- iii. महत्वपूर्ण तारीख की स्थिति के अनुसार,
क) ऋणदाता संस्थाओं के खाते के मामले में कोई अतिदेय न हो और/अथवा ऋणदाता संस्था की बहियों में ऋण को गैर-निष्पादक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत न किया गया हो; और/अथवा
ख) उधार लेने वाले की गतिविधियों, जिसके लिए क्रेडिट सुविधा मंजूर की गई थी, को बंद न कर दिया गया हो; और/अथवा
ग) क्रेडिट सुविधा का उपयोग पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी ऐसे ऋणों के समायोजन के लिए एनसीजीटीसी से इस संबंध में पूर्व सहमित प्राप्त किए बिना न किया गया हो, जिनको डूबे हुए या संदेहास्पद वसूली वाले मान लिए गया है।
- iv. ऋणदाता संस्था स्कीम के अंतर्गत कराए जा रहे पाठ्यक्रम से संबंधित ट्युशन/पाठ्यक्रम फीस सीधे प्रशिक्षण संस्थान को भुगतान करेगी। प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर होने वाला कोई भी अन्य उचित व्यय, जो उधार लेने वाले द्वारा वहन किया जाता है और पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए आवश्यक पाया जाता है, जिसमें मूल्यांकन फीस, परीक्षा फीस, पुस्तकालय प्रभार, प्रयोगशाला फीस, कॉशन डिपॉजिट, पुस्तकें, उपकरण और उपस्कर आदि शामिल हैं, कौशल ऋण में शामिल किया जा सकता है और प्रशिक्षण संस्थान को भुगतान किया जा सकता है। चूंकि ये पाठ्यक्रम स्थानीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं, इसलिए आवास और भोजन की व्यवस्था आवश्यक नहीं हो सकती है। तथापि, जहां भी यह आवश्यक पाया गया है, वहां उस विशेष क्षेत्र में जीवन यापन की लागत के आधार पर इस पर विचार किया जा सकता है।

7. इस स्कीम के अंतर्गत अपात्र कौशल ऋण

निम्नलिखित कौशल ऋण इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्याभूत होने के लिए पात्र नहीं होंगे:

- i. कोई ऐसा कौशल ऋण जिसके संबंध में सरकार अथवा कोई सामान्य बीमाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का एसोसिएशन, जो बीमा, प्रत्याभूति या क्षतिपूर्ति का कार्य करता हो, द्वारा जोखिम को अतिरिक्त रूप से कवर किया गया हो और उस सीमा तक, जहां तक ऋणों का इस प्रकार से कवर किया गया हो।
- ii. कोई कौशल ऋण जो केंद्रीय सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किसी कानून के उपबंधों अथवा किन्हीं निर्देशों अथवा अनुदेशों, जो तत्समय प्रवृत्त हो, के अनुरूप न हों अथवा किसी भी रूप में उनसे असंगत हो।
- iii. ऐसे किसी भी कौशल ऋण को मंजूरी दी गई हो जिस पर बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक) के लिए बाह्य बेंचमार्क उधार दर (ईबीएलआर) से 1.5% प्रति वर्ष से अधिक, और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)/गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एनबीएफसी-एमएफआई) और लघु वित्त बैंकों के लिए 20% प्रति वर्ष से अधिक ब्याज दर होना चाहिए। तथापि, आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों/आरबीआई की

नीतिगत दरों को ध्यान में रखते हुए, निधि समय-समय पर ऐसे अधिकतम सीमा बेंचमार्क या ब्याज दर की सीमा में और संशोधन कर सकता है।

8. ऋणदाता संस्था द्वारा करार निष्पादित किया जाना

कोई सदस्य ऋणदाता संस्था, स्वयं द्वारा मंजूर किए गए पात्र कौशल ऋणों के बारे में प्रत्याभूति के लिए हकदार तभी होगा जब उसने एनसीजीटीसी के साथ ऐसा करार कर लिया हो, जैसा एनसीजीटीसी विनिर्दिष्ट करे।

9. स्कीम के अंतर्गत ऋणदाता संस्था के उत्तरदायित्व

- i. ऋणदाता संस्था 'कौशल ऋण स्कीम' के अनुसार कौशल ऋण का मूल्यांकन करेगी और स्वीकृत करेगी तथा उधार लेने वालों के खाते (खातों) को सामान्य बैंकिंग बुद्धिमत्ता और यथोचित सूझ-बूझ के साथ चलाएगी।
- ii. ऋणदाता संस्था, प्रभावी तारीख को या उसके बाद दी गई संस्वीकृतियों के अनुसार प्रदान किए गए अपने सभी बकाया कौशल ऋणों को पैरा संख्या 6 (ii) में निर्धारित पैरामीटरों के अंदर कलेंडर तिमाही के अंत में एक पोर्टफोलियों में इकट्ठा करेगी और 'कौशल उधारी खाता' के संबंध में प्रत्याभूति कवर देने के लिए एनसीजीटीसी द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगी।
- iii. एमएलआई के लिए निम्नलिखित प्रमाणित करते हुए प्रबंधन प्रमाण पत्र (जैसा बिंदु संख्या 10 (ii) में उल्लेख किया गया है) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा:
 - (क) पोर्टफोलियों में सभी खाते कौशल ऋण स्कीम के अनुरूप हैं और ऐसे ऋण प्रभावी तारीख को या इसके बाद संस्वीकृत किए गए थे।
 - (ख) प्रारंभिक पोर्टफोलियों में लिए गए सभी खाते तथा बाद में पोर्टफोलियों में शामिल किए गए नए खाते, मानक खाते हैं।
 - (ग) ऐसे प्रस्तुत खाते, जो पोर्टफोलियों के अंदर एनपीए में बदल गए हैं और जिनके लिए कोई दावा नहीं किया गया है, उस पोर्टफोलियों में शामिल कर लिए गए हैं जिस पर प्रत्याभूति शुल्क देय है।
- iv. ऋणदाता संस्था, उधार लेने वाले के खाते की बारीकी से निगरानी करेगी और ऋण वापसी के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करेगी।
- v. ऋणदाता संस्था, प्रत्येक कौशल ऋण को 'आधार नंबर' से जोड़ना सुनिश्चित करेगी और उधार लेने वाले/सह-उधार लेने वाले का नाम उपयुक्त 'क्रेडिट सूचना ब्यूरो' के साथ रजिस्टर करेगी।
- vi. ऋणदाता संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि उधार लेने वाले को दिए गए कौशल ऋण के बारे में प्रत्याभूति दावा, एनसीजीटीसी के पास इस संबंध में एनसीजीटीसी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप, तरीके तथा समय के अंदर दर्ज किया जाना है और इसकी ओर से उधार लेने वाले के खाते में चूक को अधिसूचित करने में ऐसी कोई देर नहीं चाहिए जिससे निधि को उच्च प्रत्याभूति दावों का सामना करना पड़े।
- vii. ऋणदाता संस्था को एनसीजीटीसी द्वारा प्रत्याभूति दावे का भुगतान, उधार लेने वाले से लागू ब्याज सहित क्रेडिट की संपूर्ण बकाया राशि की वसूली के लिए ऋणदाता संस्था के उत्तरदायित्व को किसी भी रूप में समाप्त नहीं करता है। ऋणदाता संस्था, उधार लेने वाले पर बकाया कौशल ऋण की संपूर्ण राशि के लिए इसके प्रति सभी आवश्यक पूर्वोपाय करेगी और अपना वसूली अधिकार बनाए रखेगी तथा बकाया राशि की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी जिसमें एनसीजीटीसी द्वारा सलाह दी गई कार्रवाई भी शामिल होगी।
- viii. ऋणदाता संस्था ऐसे सभी निर्देशों का पालन करेगी, जैसा एनसीजीटीसी द्वारा समय-समय पर प्रत्याभूत खाते में वसूली करने के लिए अथवा क्रेडिट प्रतिभू के रूप में इसके हितों की सुरक्षा के लिए, जैसा एनसीजीटीसी उपयुक्त समझे, जारी किया जाएगा और ऋणदाता संस्था ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।
- ix. ऋणदाता संस्था, किसी प्रत्याभूत खाते के संबंध में बकायों की वसूली करने और 'निधि' के हित की सुरक्षा करने में उसके पास उपलब्ध सभी तरीकों से उसी सूझ-बूझ का प्रयोग करेगी जैसा वह सामान्य स्थिति में उस दशा में प्रयोग करती जब 'निधि' द्वारा कोई प्रत्याभूति प्रस्तुत नहीं की गई होती। ऋणदाता संस्था, प्रत्याभूति की प्रार्थना किए जाने से पहले या किए जाने के पश्चात ऐसे किसी प्रकार की भूल या कृत्य से विशेष रूप से बचेगी जिसके प्रतिभू के रूप में निधि के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विशेषकर ऋणदाता संस्था, एनसीजीटीसी को ऐसे किसी समझौते अथवा व्यवस्था करते समय सूचित करेगी जिसके प्रभाव से वैयक्तिक प्रत्याभूति (प्रत्याभूतियों) को छूट या

मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा, ऋणदाता संस्था, उधार लेने वाले के साथ करार में अनुबंध के जरिए अथवा अन्यथा रूप में 'निधि' अथवा इसकी नियुक्त एजेंसी के लिए, उधार वापिस न करने वाले का नाम और विवरण एनसीजीटीसी द्वारा प्रकाशित करने का अधिकार सुरक्षित करेगी।

- x. ऋणदाता संस्था इस स्कीम के अंतर्गत चलाए जा रहे पाठ्यक्रम से संबंधित ट्यूशन/पाठ्यक्रम फीस का भुगतान सीधे प्रशिक्षण संस्थान को करेगी।
- xi. इस स्कीम के अंतर्गत संस्वीकृत ऋणों पर ऋणदाता संस्थाओं द्वारा कोई प्रोसेसिंग फीस प्रभारित नहीं किया जाएगा।
- xii. स्कीम के अंतर्गत ऋणों की पुनर्भुगतान अवधि इस प्रकार होगी:

₹50,000 तक का ऋण	3 साल तक
₹50,000 से ₹1.0 लाख तक के ऋण	5 साल तक
₹1.0 लाख से अधिक के ऋण	7 साल तक

- xiii. ऋण स्कीम तैयार करते समय, ऋणदाता संस्था छात्रों से डाउन-पेमेंट के रूप में मार्जिन मनी की आवश्यकताओं को निर्धारित कर सकती है।

ऋणदाताओं को विशिष्ट पाठ्यक्रमों या छात्रों के कुछ वर्गों के लिए ऋण स्थगन पर विचार करने की सलाह दी जाती है। पाठ्यक्रम पूरा होने पर, नीचे बताए गए अनुसार स्थगन अवधि समाप्त होने के बाद पुनर्भुगतान शुरू हो सकता है:

एक वर्ष तक की अवधि के पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद 06 महीने तक स्थगन
एक वर्ष से अधिक अवधि के पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद 12 महीने तक का स्थगन

ऋणदाताओं के पास विभिन्न क्षेत्रों और छात्र श्रेणियों के लिए उपयुक्त समझे गए पुनर्भुगतान की संरचना चुनने की सुविधा होगी - एक समान मासिक किस्तें (ईएमआई), ट्यूब भुगतान या स्थगन अवधि।

- xiv. उधार लेने वाले पुनर्भुगतान शुरू होने के बाद किसी भी समय बिना किसी अग्रिम भुगतान प्रभार के ऋण चुका सकता है। यदि कोई छात्र दुर्घटना/मृत्यु/दिव्यांगता के कारण पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाता है, तो ऋणदाता प्रशिक्षण संस्थान से पाठ्यक्रम के अधूरे हिस्से के लिए आनुपातिक प्रतिपूर्ति मांग सकता है।

अध्याय III

प्रत्याभूति शुल्क

10. प्रत्याभूति शुल्क

- i. सदस्य ऋणदाता संस्था, प्रत्याभूति कवरेज लाभ प्राप्त करने के लिए तिमाही के अंत में बकाया पोर्टफोलियो शेष (कौशल ऋण) 0.125 प्रतिशत प्रति कलेंडर तिमाही (अर्थात 0.50 प्रतिशत प्रति वर्ष) के प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान करेगा।
- ii. प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान कलेंडर तिमाही की समाप्ति के 16 दिनों के भीतर किया जाएगा। सदस्य ऋणदाता संस्था (एमएलआई) को कलेंडर तिमाही की समाप्ति के 10 दिनों के भीतर एक प्रबंधन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। प्रबंधन प्रमाणपत्र प्राप्ति के तीन दिन के भीतर एनसीजीटीसी द्वारा एक क्रेडिट प्रत्याभूति मांग एडवाइस नोट (सीजीडीएन) जारी किया जाएगा और तदुपरान्त सीजीडीएन जारी होने के तीन दिन के भीतर प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान करना होगा।

- iii. पोर्टफोलियो में निहित सभी मामले जिनके लिए एमएलआई द्वारा प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान कर दिया गया है, क्रेडिट प्रत्याभूति स्कीम के तहत कवर होंगे बशर्ते पोर्टफोलियो में अंतर्निहित ऋण-लेखे कौशल ऋण स्कीम के तहत अर्हक हो।
- iv. प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान तिमाही शेष (जिसमें एनपीए में परिवर्तित खातों पर राशि भी शामिल है) पर किया जाएगा और प्रत्याभूति उस तिमाही के अंत तक वैध रहेगी। पोर्टफोलियो के एनपीए से संबंधित प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान उस समय तक जारी रहेगा, जब तक कि ऐसे लेखों से संबंधित दावा दर्ज नहीं किया जाता।
- v. हालांकि 'निधि' को भविष्य में जोखिम रेटिंग/जोखिम प्रोफाइल के आधार पर विभिन्न शैक्षिक संस्थानों/व्यावसायिक/कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानों से भिन्न-भिन्न प्रत्याभूति शुल्क वसूलने का अधिकार सुरक्षित है।
- vi. परंतु यह और कि निर्दिष्ट अवधि या ऐसी विस्तारित अवधि जैसा एनसीजीटीसी ऐसी शर्तों पर सहमत हो, के अंदर प्रत्याभूति शुल्क की अदायगी न होने की स्थिति में ऐसी क्रेडिट सुविधा की प्रत्याभूति के लिए 'निधि' का दायित्व, उन क्रेडिट सुविधाओं के बारे में व्यपगत हो जाएगा जिन पर प्रत्याभूति शुल्क देय हैं या अदा नहीं किए गए हैं।
- vii. यदि प्रत्याभूति शुल्क की गणना में अथवा राशि के परिकलन में कोई गलती या विसंगति या कमी पाई जाती है, तो पात्र ऋणदाता संस्थान द्वारा ऐसी विसंगति/कमी का व्याज सहित भुगतान, जो बैंक दर से 4 प्रतिशत ऊपर होगा, निधि को करना होगा। भुगतान अधिक पाए जाने पर निधि द्वारा वह वापिस किया जाएगा। इस संबंध में ऋणदाता संस्था से कोई प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, एनसीजीटीसी उनके पास उपलब्ध सूचना तथा ऋणदाता संस्था से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर फैसला करेगी। इसके होते हुए भी एनसीजीटीसी का निर्णय अंतिम तथा ऋणदाता संस्था पर बाध्यकारी होगा।
- viii. सदस्य ऋणदाता संस्था (एमएलआई) द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रत्याभूति शुल्क के बराबर की राशि का वहन सदस्य ऋणदाता संस्था (एमएलआई) द्वारा किया जाएगा।
- ix. निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर ऋणदाता संस्था द्वारा एनसीजीटीसी को दी गई प्रत्याभूति राशि वापिस नहीं होगी:-
 - अधिक भुगतान होना,
 - एक ही कौशल ऋण के लिए एक से अधिक बार भुगतान होना, तथा
 - अदेय वार्षिक प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान होना।

अध्याय IV

प्रत्याभूतियां

11. प्रत्याभूति की सीमा

यह निधि निम्नलिखित प्रकार की प्रत्याभूति कवर प्रदान करेगी:

ऋण स्लैब (लाख रुपये में)	चूक राशि पर प्रत्याभूति कवरेज
0.05-4.0	75%
4.0-7.5	70%

निधि इसमें परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित रखती है। प्रत्याभूति शुल्क के भुगतान की तारीख से प्रत्याभूति कवर आरंभ होगी तथा कौशल ऋण की सहमत अवधि के दौरान जारी रहेगा।

अध्याय V

दावे

12. प्रत्याभूति की प्रार्थना

- i. ऋणदाता संस्था कौशल ऋण संबंधी प्रत्याभूति की प्रार्थना, निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने के बाद एनपीए की तारीख से अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के भीतर करेगी, यदि एनपीए लाक-इन अवधि के बाद हुआ हो या लाक-इन अवधि के एक वर्ष के भीतर हुआ हो, यदि एनपीए लाक-इन अवधि के भीतर हो:
 - क) खाते के एनपीए में परिवर्तनीय होने के समय उस क्रेडिट सुविधा के संबंध में प्रत्याभूति प्रवृत्त थी।
 - ख) 3.0 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए 6 महीने और 3.0 लाख रुपये से अधिक के ऋणों के लिए 12 महीने की लॉक-इन अवधि, ब्याज स्थगन की अवधि की समाप्ति की तारीख या ऋण के संबंध में प्रत्याभूति कवर की शुरुआत की तारीख, जो भी बाद में हो, से लागू होती है। प्रत्याभूति कवर की शुरुआत की तारीख या ब्याज स्थगन की अवधि की समाप्ति की तारीख, जो भी बाद में हो, से लॉक-इन अवधि निर्धारित की गई है।
 - ग) कौशल-ऋण के अंतर्गत ऋणदाता संस्था को देय तथा भुगतान योग्य राशि का भुगतान नहीं हुआ हो तथा देय राशि को ऋणदाता संस्था द्वारा गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, परन्तु ऋणदाता संस्था कौशल ऋण के संबंध में एनसीजीटीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देश के विपरित या उसके विरोधी कार्यवाही/निर्णय की वजह से होने वाली हानि के संबंध में एनसीजीटीसी पर कोई दावा नहीं करेगी/दावे की हकदार नहीं होगी।
- ii. ऋणदाता संस्था दावे उस तरीके तथा समयावधि के भीतर प्रस्तुत करेगी, जो एनपीजीटीसी द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए/विनिर्दिष्ट किए जाते हैं।
- iii. क्रेडिट प्रत्याभूति स्कीम के तहत कौशल विकास संबंधी किसी भी दावे की समूची प्रत्याभूति राशि का निबटान एक बार में ही किया जाएगा, बशर्ते कि एमएलआई से इस हेतु एक प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है कि अशोधित राशि की वसूली के सभी उपाय कर लिए गए हैं तथा वसूली की कोई और उम्मीद नहीं है तथा दावा सभी प्रकार से सही और पूर्ण है।
- iv. अदा न किए जाने की स्थिति में ऋणदाता संस्था ऋणी की संपत्ति, यदि कोई हो तो, अधिग्रहण करने के अपने अधिकार का उपयोग करेगी और उस संपत्ति की बिक्री से या अन्य प्रकार से वसूली गई समूची राशि, यदि कोई हो तो, सर्वप्रथम एनसीजीटीसी को, उसके द्वारा प्रत्याभूत राशि का दावा पेश करने से पहले जमा करा देगी।
- v. ऋणदाता संस्था एनसीजीटीसी द्वारा किए गए दावे की राशि को दांडिक ब्याज सहित, जो कि प्रचलित बैंक दर से 4 प्रतिशत ऊपर होगा, वापिस करने के लिए उत्तरदायी होगी, यदि एनसीजीटीसी द्वारा ऐसी मांग कौशल ऋण संबंधी मूल्यांकन/नवीकरण/अनुवर्तन/संचालन मामले में कोई खामियां होने पर या जहां दावा एक से अधिक बार किया गया हो या जहां कहीं भी ऋणदाता संस्था द्वारा दावे के निपटारे हेतु किसी वास्तविक जानकारी का छुपाया जाना प्रकट होने पर की जाती है। एनसीजीटीसी द्वारा मांग किए जाने पर दांडिक ब्याज का भुगतान ऋणदाता संस्था द्वारा एनसीजीटीसी द्वारा दावे की राशि का प्राथमिक भुगतान की तारीख से वापसी की तारीख तक किया जाएगा।
- vi. ऋणदाता संस्था के संबंधित मुख्यालय/प्रादेशिक कार्यालय अथवा अन्य विनिर्धारित कार्यालय/शाखाओं के अलावा किसी अन्य शाखाओं/कार्यालयों से सीधे प्राप्त होने वाले प्रत्याभूति दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
- vii. वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान संवितरित ऋणों पर दावा भुगतान (दावे के वर्ष पर ध्यान दिए बिना) उस वर्ष के दौरान संवितरित कुल ऋणों के 20% तक सीमित रहेगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 से दावा भुगतान की यह सीमा घटाकर 15% कर दी गई है।

13. भुगतान किए गए दावों के कारण अधिकारों और वसूलियों का प्रतिस्थापन

- i. एनसीजीटीसी द्वारा जब भी मांगा जाएगा, ऋणदाता संस्था को वसूलियों और प्राप्तियों के लिए किए गए प्रयासों से संबंधित तथा अन्य ऐसी सूचनाएं एनसीजीटीसी को उपलब्ध कराना होगा। एनसीजीटीसी किसी स्थानापन्न अधिकारों का उपयोग नहीं करेगा तथा देय राशि संबंधी जिम्मेदारी ऋणदाता संस्था पर रहेगी।

- ii. यदि ऋण लेने वाले को ऋणदाता संस्था का कोई विशिष्ट तथा अलग ऋणों का भुगतान करना है, और वह किसी एक अथवा अधिक ऋणों का भुगतान कर रहा हो, चाहे भुगतान किए जा रहे कर्ज का लेखा निधि की प्रत्याभूति से कवर है अथवा नहीं, इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, ऐसा भुगतान प्रत्याभूति से कवर ऋणदाता संस्था द्वारा प्रत्याभूत ऋण के लिए ही विनियोजित माना जाएगा, जिसके संबंध में दावा पेश किया और भुगतान किया गया है, चाहे ऋण लेने वाले द्वारा बताई गई विनियोजन विधि कुछ भी हो अथवा ऐसे भुगतान की विनियोजन वास्तव में किसी भी प्रकार से किया गया हो।
- iii. वसूली गई तथा एनसीजीटीसी को भुगतान के लिए देय प्रत्येक राशि का अविलम्ब भुगतान किया जाएगा, तथा एनसीजीटीसी को देय राशि यदि उसकी प्रथम वसूली से 30 दिन के बाद भी देय रहती है तो ऋणदाता संस्था एनसीजीटीसी को 30 दिन के बाद से जितने समय भुगतान देय रहता है, उतनी अवधि के लिए बैंक-दर से 4 प्रतिशत ऊपर ब्याज का भुगतान करेगी।

अध्याय VI

विविध

14. ऋणदाता संस्था से प्राप्त राशि का विनियोजन

ऋणदाता संस्था से प्राप्त राशि का विनियोजन उसी क्रम में होगा जिस क्रम में बैंक एजीएफ, दांडिक ब्याज तथा अन्य प्रभार देय हैं। यदि एजीएफ और दांडिक ब्याज एक ही तिथि को देय हुए हैं तो सर्वप्रथम विनियोजन एजीएफ के लिए, तदंतर दांडिक ब्याज तथा अंत में पात्र क्रेडिट सुविधा के संबंध में अन्य प्रभारों के लिए किया जाएगा।

15. ऋणदाता संस्था द्वारा प्रत्याभूति का आह्वान/प्रार्थना आरंभ होने के पश्चात किसी क्रेडिट सुविधा प्राप्त राशि का विनियोजन

जहां, इस स्कीम के अनुच्छेद 12 के अनुसार एनसीजीटीसी द्वारा ऋणदाता संस्था को वसूली न किए जाने वाली राशि का भुगतान कर देने के बाद, ऋणदाता संस्था अपने द्वारा शुरू की गई वसूली कार्यवाही के बाद कुछ राशि वसूलती है तो ऐसी राशि, वसूली की प्रक्रिया में कानूनी व्ययों के समायोजन के बाद, ऋणदाता संस्था द्वारा एनसीजीटीसी के पास जमा कराई जाएगी। निधि राशि को प्रथमतः बकाया एजीएफ, दांडिक ब्याज तथा निधि को उस क्रेडिट सुविधा के लिए देय अन्य प्रभारों के लिए विनियोजित करेगी, जिसके लिए ऋणदाता संस्था द्वारा राशि की वसूली की गई है। यदि फिर भी कोई बकाया शेष रहता है तो, इसका विनियोजन इस प्रकार से किया जाएगा कि वसूली में शेष रहा घाटा, एनसीजीटीसी और ऋणदाता संस्था के बीच क्रमशः 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के अनुपात में रहे।

16. कतिपय मामलों में निधि के दायित्व का समाप्त हो जाना

- i. यदि इस स्कीम के तहत प्रत्याभूत कौशल ऋण के संबंध में ऋण लेने वाले का ऋणदाता संस्था के प्रति उत्तरदायित्वों का किसी अन्य ऋण लेने वाले को हस्तांतरित हो जाता है और यदि ऋण लेने वाले की पात्रता संबंधी शर्तें और कौशल ऋण की राशि तथा अन्य शर्तें, यदि कोई हों, जिसके आधार पर स्कीम के तहत कौशल ऋण को प्रत्याभूत किया जा सकता है, के ऐसे हस्तांतरण के पश्चात संतुष्ट नहीं किए जाते हैं, तो ऐसे कौशल ऋण की प्रत्याभूति को उस हस्तांतरण की तारीख से समाप्त माना जाएगा।
- ii. यदि कोई ऋण लेने वाला व्यक्ति स्कीम के तहत कौशल ऋण के अयोग्य हो, तो स्कीम के तहत उसे ऋणदाता संस्था द्वारा प्रदान किए गए कौशल ऋण के संबंध में एनसीजीटीसी का दायित्व उस तारीख से, जब से वह अयोग्य ठहराया गया है, ऋणदाता संस्था के प्रति दायित्व तक सीमित हो जाएगा। किंतु यह सीमा इस स्कीम के तहत निर्धारित एनसीजीटीसी के दायित्व की सीमाओं के आधार पर होगी।

17. विवरण तथा निरीक्षण

- i. स्कीम के तहत कौशल ऋण के संबंध में ऋणदाता संस्था एनसीजीटीसी द्वारा मांगे जाने पर ऋणदाता संस्था संबंधित विवरणियां तथा सूचनाएं प्रस्तुत करेगी।
- ii. ऋणदाता संस्था एनसीजीटीसी को वे सभी प्रलेख, रसीदें, प्रमाण पत्र तथा अन्य विलेख जो वह मांगे और जब भी मांगे, भी देगा और यह निश्चित माना जाएगा कि ऐसे प्रलेखों, रसीदों, प्रमाण पत्रों और विलेखों में निहित सूचनाएं

सत्य हैं, परन्तु कि कोई दावा नामंजूर नहीं होगा तथा भरोसे पर किए गए किसी कार्य का कोई भी दायित्व ऋणदाता संस्था या उसके किसी अधिकारी पर नहीं आएगा।

- iii. स्कीम के प्रयोजनार्थ जहां तक आवश्यक होगा, एनसीजीटीसी के पास यह अधिकार होगा कि वह ऋणदाता संस्था और किसी ऋण लेने वाले के वही खाते तथा अन्य रिकार्ड (इसमें अनुदेश पुस्तिका, मेन्यूअल, अग्रिम संबंधी सामान्य अनुदेश शामिल हैं) का निरीक्षण कर सके। यह निरीक्षण एनसीजीटीसी के अधिकारियों अथवा एनसीजीटीसी द्वारा निरीक्षण हेतु नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। ऋणदाता संस्था अथवा ऋण लेने वाले का प्रत्येक अधिकारी तथा अन्य कोई कर्मचारी, जो ऐसा करने में समर्थ होगा, एनसीजीटीसी अधिकारियों अथवा निरीक्षण के लिए नियुक्त व्यक्ति, जैसा भी हो, को अपने पास रखे सभी बहीखातों तथा रिकार्ड एवं सूचनाओं को निरीक्षणार्थ उपलब्ध कराएगा।

18. स्कीम के तहत लगाई गई शर्त ऋणदाता संस्था पर बाध्यकारी होगी।

- i. निधि द्वारा दी गई कोई प्रत्याभूति, स्कीम के उपबंधों द्वारा ऐसे अधिशासित होगी जैसा कि ऐसी प्रत्याभूति के प्रत्यक्षकारी प्रलेखों में लिखा गया है।
- ii. ऋणदाता संस्था यथासंभव यह सुनिश्चित करेगी कि स्कीम के तहत प्रत्याभूत लेखों से संबंधित किसी भी अनुबंध की शर्तों में स्कीम के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं होगी। किंतु अन्य किन्हीं प्रलेखों या अनुबंधों में उपबंधों के होते हुए भी, ऋणदाता संस्था, निधि के संबंध में स्कीम के तहत लागू निधि संबंधी शर्तों से बाध्य होगी।

19. संशोधन और छूट

- i. स्कीम को संशोधित करने, निरस्त करने या प्रतिस्थापित करने का अधिकार निधि अपने पास रखती है, जिससे कि ऐसे संशोधन, निरस्तकरण या प्रतिस्थापन की तारीख तक स्कीम के अंतर्गत किसी प्रत्याभूति के प्रोद्भूत अथवा उद्भूत अधिकारों और दायित्वों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- ii. इसमें निहित किसी बात के होते हुए भी, निधि के पास ऐसे किसी खाते के संबंध में स्कीम की शर्तों को संशोधित करने का अधिकार होगा, जिसके संबंध में, संशोधन की तारीख तक, प्रत्याभूति जारी नहीं की गई है/प्रत्याभूति के अंतर्गत प्रार्थना नहीं की गई है।
- iii. स्कीम के निरस्त होने की दशा में स्कीम के तहत सुरक्षा प्राप्त सुविधाओं के संबंध में निधि के विरुद्ध कोई दावा देय नहीं होगा, जब तक कि ऋणदाता संस्था द्वारा निरस्तकरण की तारीख से पूर्व स्कीम के पैरा 12 के खंड (i) तथा (ii) का परिपालन नहीं किया गया हो।

20. निर्वचन

यदि स्कीम के किन्हीं उपबंधों अथवा तत्संबंधी दिए गए किन्हीं निदेशों या अनुदेशों या उनसे संबंधित स्पष्टीकरणों की व्याख्या को लेकर कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उस संबंध में निधि का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

21. अनुपूरक और सामान्य उपबंध

किसी मामले के संबंध में, जिसका स्कीम में कोई विशिष्ट उपबंध नहीं है, निधि स्कीम के हित में ऐसा अनुपूरक या अतिरिक्त उपबंध कर सकती है या ऐसा निदेश और स्पष्टीकरण जारी कर सकती है, जो स्कीम के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हो।

मनीषा सेनशर्मा, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2026

No. SL-11/01/2023- T&P: In exercise of the powers conferred by Para 19, Chapter VI of the Notification No. 8-8/2014-SD&E (Vol.II) dated 20.11.2015 concerning Credit Guarantee Fund Scheme for Skill Development (CGFSSD) of Ministry of Skill Development & Entrepreneurship (MSDE), Government of India, the Fund constituted for the purpose, hereby notifies the modified scheme by merging the amendments introduced vide Notification No. SL-11/01/2023- T&P dated 09.07.2024, and incorporating a few other amendments in the original Scheme.

This notification shall supersede the earlier notifications on Credit Guarantee Fund Scheme for Skill Development (CGFSSD) and come into effect from the date of this notification: -

CHAPTER I

INTRODUCTION

1. Title and date of commencement

- i. The Scheme as modified shall continue to be known as the Credit Guarantee Fund Scheme for Skill Development (CGFSSD).
- ii. The modified scheme shall come into force from the date of notification by the Government of India.

2. Loan Limit

The minimum and maximum loan limit under this Scheme is Rs. 5000/- and Rs.7,50,000/- respectively, without any collateral security and/or third-party guarantee. However, the Fund reserves the right to revise the loan limit as and when required.

3. Interest Rate

The Interest Rate to be charged by the Member Lending Institution should not be more than 1.5 % p.a. over External Benchmark Lending Rate (EBLR) for Banks (Public Sector Banks, Private Sector Banks, Foreign Banks) and 20% p.a. (subject to further changes from time to time, as may be decided by the Management Committee of the Fund) for Non-Banking Financial Company (NBFC)/Non-Banking Financial Company-Micro Finance Institutions (NBFC-MFIs) and Small Finance Banks.

4. Definitions

For the purposes of this Scheme –

- i. **“Skill Loans and Skill Loans Scheme”**- Skill Loans refers to loans extended by lending institutions to individuals for the National Skill Qualification Framework (NSQF) aligned courses and/or the Non-NSQF aligned courses in skill development provided by the training entities onboarded on the MSDE’s Skill India Digital Hub (SIDH) platform. Skill Loan Scheme refers to the Credit Guarantee Fund Scheme for Skill Development, as modified from time to time.
- ii. **"Amount in Default"** means the loan amount outstanding in the loan account(s) of the borrower inclusive of accrued interest, as on the date of the account becoming NPA, or the date of lodgement of claim application whichever is lower or such other amount as may be specified by the Fund for preferring any claim against the guarantee cover subject to maximum of ‘Guarantee Cover’.
- iii. **“External Benchmark Lending Rate (EBLR)”** – As per RBI Circular No. DBR.DIR.BC. No.14/13.03.00/2019-20 dated September 04, 2019, EBLR is defined as all new floating rate for

personal or retail loans and the floating rate loans to Micro and Small Enterprises extended by banks from October 01, 2019 shall be benchmarked to one of the following:

- Reserve Bank of India policy repo rate
- Government of India 3-Months Treasury Bill yield published by the Financial Benchmarks India Private Ltd (FBIL)
- Government of India 6-Months Treasury Bill yield published by the FBIL
- Any other benchmark market interest rate published by the FBIL.

- iv. **“Eligible Borrower”** - “Eligible Borrower” means any new or existing borrower with Indian Nationality who meets the eligibility criteria with minimum qualifications to undergo skill training for the National Skill Qualification Framework (NSQF) aligned courses and/or the Non-NSQF aligned courses by the training entities onboarded on the MSDE’s Skill India Digital Hub (SIDH) platform, and who has executed the loan documents with the lending institutions to avail the loan. If the student is a minor, while the parent(s) would execute the documents, the lender will obtain a letter of acceptance/ratification from the student upon becoming major. Parents /guardians will be the co-borrowers.
- v. **“Collateral security”** means the security provided in addition to personal obligation of borrower/co-borrower.
- vi. **“Fund”** means the Credit Guarantee Fund for Skill Development Loans set up by Government of India with the purpose of guaranteeing payment against default in Skill Loan, extended by the lending institution(s) to the eligible borrowers.
- vii. **“Guarantor”** means a person acceptable to the bank, who guarantees to repay the skill loan, in the event of failure of the borrower to repay.
- viii. **“Guarantee Cover”** means maximum cover available per eligible borrower of the amount in default in respect of the credit facility extended by the lending institution.
- ix. **“Member Lending Institution(s)”**- Member Lending Institution(s) means the Scheduled Banks (Public Sector Banks, Private Sector Banks, Foreign Banks and Small Finance Banks) and the Non-Banking Finance Company (NBFC)/ Non-Banking Financial Company-Micro Finance Institutions (NBFC-MFIs) who are registered with National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC) under the Scheme.
- x. **“Material date”** means the date on which the guarantee fee on the amount covered in respect of eligible borrower becomes payable by the institution to the Fund.
- xi. **“Non-Performing Assets”** means an asset classified as a non-performing based on the instructions and guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time.
- xii. **“Scheme”** means the Credit Guarantee Fund Scheme for Skill Development.
- xiii. **NCGTC** means National Credit Guarantee Trustee Company set up on March 28, 2014, by Government of India under the Companies Act 1956 to act as the Trustee to operate the Credit Guarantee Funds for Educational Loans, Skill Development Loans and any other funds to be set up by Government of India from time to time.
- xiv. **“Lock-in-period”**- Lock-in-period means the period during which no invocation of guarantee can be made. Lock-in-period shall be 6 months for loans up to Rs. 3.0 lakh and 12 months for loans above Rs. 3.0 lakh from the date of commencement of guarantee cover or end of period of moratorium, whichever is later.
- xv. Accordingly, all matters pertaining to the operations of CGFSSD would be undertaken by NCGTC on behalf of the said Fund Trust.

CHAPTER II

SCOPE AND EXTENT OF THE SCHEME

5. Guarantees by the Fund

- i. Subject to the other provisions of the Scheme, NCGTC undertakes, in relation to Skill Loans ranging from Rs.5000/- to Rs.7,50,000/- extended to an eligible borrower by a Member Lending Institution (MLI) which has entered into necessary agreement for this purpose with NCGTC, to provide guarantee against default in repayment of skill loans extended by the lending institutions.
- ii. NCGTC reserves the right to accept or reject any proposal referred by the lending institution which otherwise satisfies the norms of the Scheme.

6. Skill Loans eligible under the Scheme

The Fund shall cover skill loans extended by Member Lending Institution(s) to an eligible borrower on or after entering into an agreement with NCGTC, without any collateral security and/or third-party guarantee, provided that

- i. The course is run by Industrial Training Institutes (ITIs), Polytechnics or in a School recognized by Central or State education Boards or in a College affiliated to recognized University, Training Partners affiliated to National Skill Development Corporation (NSDC)/Sector Skill Councils, State Skill Mission, State Skill Corporation, preferably leading to a certificate / diploma / degree issued by such organization as per National Skill Qualification Framework (NSQF). The Government of India / State Governments may, from time to time, notify institutes/organizations for the purpose.

Courses run by above mentioned Training Institutes (in 6.1) aligned to National Skill Qualification Framework (NSQF) shall be covered by the Skill Loan. There is no minimum course duration.

In addition, the non-NSQF aligned courses on-boarded on the MSDE's Skill India Digital Hub (SIDH) portal shall also be covered under the scheme, with no minimum course duration.

- ii. The lending institution applies for guarantee cover in respect of skill development loans disbursed in the quarter April-June, July-September, October-December and January-March prior to expiry of the following quarter viz. July-September, October-December, January-March and April-June, respectively.
- iii. As on the material date,
 - a) There are no overdue in respect of the account to the lending institutions and / or the loan has not been classified as a non-performing asset in the books of the lending institution, and/or
 - b) The activity of the borrower for which the credit facility was granted, has not ceased; and / or
 - c) The credit facility has not wholly or partly been utilized for adjustment of any debts deemed bad or doubtful of recovery, without obtaining a prior consent in this regard from NCGTC.
- iv. The lending institution shall pay tuition/course fee related to the course being undertaken under the scheme directly to the Training Institute. Any other reasonable expenditure on services provided by Training Institute but borne by the borrower and which are found necessary for completion of the course including but not limited to assessment fee, examination fee, library charges, laboratory fee, caution deposit, books, equipment's and instruments, etc. may be covered in the Skill Loan and paid to Training Institute. As such courses are localized, the boarding and lodging may not be necessary. However, wherever it has been found necessary, the same could be considered on merit based on the cost of living in the particular area.

7. Skill Loans not eligible under the Scheme

The following Skill Loans shall not be eligible for being guaranteed under the Scheme:

- i. Any Skill Loans in respect of which risks are additionally covered by Government or by any general insurer or any other person or association of persons carrying on the business of insurance, guarantee or indemnity, to the extent they are so covered.

- ii. Any Skill Loans, which does not conform to, or is in any way inconsistent with, the provisions of any law, or with any directives or instructions issued by the Central Government or the Reserve Bank of India, which may, for the time being, be in force.
- iii. Any Skill Loans which have been sanctioned with the interest rate higher than 1.5% p.a. over External Benchmark Lending Rate (EBLR) for Banks (Public Sector Banks, Private Sector Banks, Foreign Banks) and 20% p.a. for Non-Banking Financial Company (NBFC)/Non-Banking Finance Company-Micro Finance Institutions (NBFC-MFIs) and Small Finance Banks. However, the Fund may further revise such ceiling benchmark parameters or interest rate cap from time to time keeping in view the prevailing RBI guidelines/RBI policy rates.

8. Agreement to be executed by the lending institution

A Member Lending Institution shall be entitled to a guarantee in respect of eligible Skill Loans granted by it after it has entered into an agreement with NCGTC in such form as specified by NCGTC.

9. Responsibilities of lending institution under the scheme

- i. The lending institution shall evaluate and sanction the Skill Loans in accordance with the “Skill Loan Scheme” and conduct the account(s) of the borrowers with normal banking prudence and due diligence.
- ii. The lending institution shall pool all its outstanding skill loans extended against sanctions effected on or after the effective date, but within the parameters prescribed at para no. 6(ii) as at the end of a calendar quarter into a portfolio and ensure to submit the information required by NCGTC for giving guarantee cover with regard to the Skill borrowable account.
- iii. The MLI would need to furnish a Management Certificate [as mentioned in point 10(ii)] certifying the following:
 - (a) All accounts in the portfolio conform to the Skill Loan Scheme and such loans were sanctioned on or after the effective date.
 - (b) All accounts covered in the initial portfolio as well as new accounts added in the portfolio subsequently, are standard accounts.
 - (c) All accounts which have turned NPA within the portfolio and for which claim has not been lodged have been included in the portfolio on which the guarantee fee is payable.
- iv. The lending institution shall closely monitor the borrower’s account and follow up for repayment.
- v. The lending institution shall ensure linkage of every skill loan with Aadhar number and register the borrower’s/co-borrower’s name with an appropriate credit information bureau.
- vi. The lending institution shall ensure that the guarantee claim in respect of the Skill Loans given to the borrower is lodged with NCGTC in the form and in the manner and within such time specified by NCGTC in this regard and that there shall not be any delay on its part to notify the default in the borrowers account which shall result in the Fund facing higher guarantee claims.
- vii. The payment of guarantee claim by NCGTC to the lending institution does not in any way take away the responsibility of the lending institution to recover the entire outstanding amount of the credit from the borrower with applicable interest. The lending institution shall exercise all the necessary precautions and maintain its recourse to the borrower for entire amount of skill loan owed to it and initiate such necessary actions for recovery of the outstanding amount, including such action as may be advised by NCGTC.
- viii. The lending institution shall comply with such directions as may be issued by NCGTC, from time to time, for facilitating recoveries in the guaranteed account, or safeguarding its interest as a credit guarantor, as NCGTC may deem fit and the lending institution shall be bound to comply with such directions.
- ix. The lending institution shall, in respect of any guaranteed account, exercise the same diligence in recovering the dues, and safeguarding the interest of the Fund in all the ways open to it as it might

have exercised in the normal course if no guarantee had been furnished by the Fund. The lending institution shall, in particular, refrain from any act of omission or commission, either before or subsequent to invocation of guarantee, which may adversely affect the interest of the Fund as the guarantor. In particular, the lending institution should intimate NCGTC while entering into any compromise or arrangement, which may have effect of discharge or waiver of personal guarantee(s). Further the lending institution shall secure for the Fund or its appointed agency, through a stipulation in an agreement with the borrower or otherwise, the right to publish the defaulted borrowers' names and particulars by NCGTC.

- x. The lending institution shall pay tuition/course fee related to the course being undertaken under the scheme directly to the Training Institute.
- xi. No Processing fee will be charged by lending institutions on loans sanctioned under the scheme.
- xii. The loans under the scheme will have a repayment tenure as follows:

Loans up to ₹ 50,000	Up to 3 years
Loans between ₹ 50,000 to ₹ 1.0 lakh	Up to 5 years
Loans above ₹ 1.0 lakh	Up to 7 years

- xiii. While designing the loan scheme, the lending institution may stipulate the requirements of the margin money as down-payment from the students.

It is advised that the lenders should consider moratorium for specific courses or certain sections of the students. Upon completion of the course, repayment may start after a moratorium period as indicated below:

Courses of duration up to 01 year	Moratorium up to 06 months from the completion of the course
Courses of duration above 01 year	Moratorium up to 12 months from the completion of the course

The lenders will have flexibility to choose the structure of repayment - flat Equated Monthly Instalments (EMI), tube payments or moratorium period as deemed fit for various sectors and student categories.

- xiv. The borrower can repay the loan any time after commencement of repayment without having to pay any prepayment charges. In case a student is not able to complete the course because of accident/death/disability, the lender can seek a pro-rata reimbursement of the unfinished portion of the course amount from the training institute.

CHAPTER III

GUARANTEE FEE

10. Guarantee Fee

- i. For availing the guarantee coverage, the Member Lending Institution shall pay Guarantee Fee of 0.125% per calendar quarter (i.e. 0.50% p.a.) on the quarter end outstanding portfolio balance (skill loans).
- ii. Guarantee fee shall be paid within 16 days from the end of the calendar quarter. (The MLI would need to furnish a Management Certificate within 10 days from the end of the calendar quarter, after which, a Credit Guarantee Demand Advice Note [CGDAN] would be issued by NCGTC within 3 day of receipt of Management Certificate and subsequently, the guarantee fee shall be payable within 3 days from the issue of CGDAN)

- iii. All cases within the portfolio for which the guarantee fee has been paid by MLI, would be covered under the credit guarantee scheme subject to the loan accounts within the portfolio being eligible under the Skill Loan Scheme.
- iv. Guarantee fee would be paid on the quarterly balance (including on accounts which have turned NPA) and Guarantee will be valid up to the end of that quarter. Guarantee fee with respect to NPA accounts in the portfolio would continue to be paid till lodgement of claim for such accounts.
- v. However, the Fund reserves the right to charge different guarantee fees in future for different educational institutions / vocational / skill development training institutions depending on their risk rating/risk profile.
- vi. Provided further that in the event of non-payment of Guarantee Fee within the stipulated time or such extended time that may be agreed to by NCGTC on such terms, liability of the Fund to guarantee such credit facility would lapse in respect of those credit facility against which the Guarantee Fee are due and not paid.
- vii. In the event of any error or discrepancy or shortfall being found in the computation of the amounts or in the calculation of the guarantee fee, such deficiency / shortfall shall be paid by the eligible lending institution to the Fund together with interest on such amount at a rate of 4% over and above the Bank Rate. Any amount found to have been paid in excess would be refunded by the Fund. In the event of any representation made by the lending institution in this regard, NCGTC shall take a decision based on the available information with it and the clarifications received from the lending institution. Notwithstanding the same, the decision of NCGTC shall be final and binding on the lending institution.
- viii. The amount equivalent to the guarantee fee payable by the Member Lending Institution will be borne by the Member Lending Institution.
- ix. The guarantee fee once paid by the lending institution to NCGTC is non-refundable, except under certain circumstances like -
 - Excess remittance,
 - Remittance made more than once against the same Skill Loan, and
 - Annual guarantee fee not due.

CHAPTER IV GUARANTEES

11. Extent of the guarantee

The Fund shall provide guarantee cover as under:

Loan Slab (Rs Lakh)	Guarantee coverage on amount in default
0.05-4.0	75%
4.0-7.5	70%

The Fund reserves the right to modify the same. The guarantee cover will commence from the date of payment of guarantee fee and shall run through the agreed tenure of the Skill Loans.

CHAPTER V**CLAIMS****12. Invocation of guarantee**

- i. The lending institution may invoke the guarantee in respect of Skill loan within a maximum period of one year from date of NPA, if NPA is after lock-in period or within one year of lock-in period, if NPA is within lock-in period, after the following conditions are satisfied:
 - a) The guarantee in respect of that credit facility was in force at the time of account turning NPA.
 - b) The lock-in period of 6 months for loans up to Rs. 3.0 lakh and 12 months for loans above Rs. 3.0 lakh from either the end of period of moratorium of interest or the date of commencement of guarantee cover in respect of loan covered, whichever is later, has elapsed. A lock-in-period has been stipulated from the date of commencement of guarantee cover or end of period of moratorium, whichever is later.
 - c) The amount due and payable to the lending institution in respect of the Skill Loan has not been paid and the dues have been classified by the lending institution as Non-Performing Assets. Provided that the lending institution shall not make or be entitled to make any claim on NCGTC in respect of the said Skill Loan if the loss in respect of the said credit facility had occurred owing to actions / decisions taken contrary to or in contravention of the guidelines issued by NCGTC.
- ii. The claim should be preferred by the lending institution in such manner and within such time specified/to be specified by NCGTC in this behalf.
- iii. Any Claim under the Credit Guarantee Scheme for Skill Development would be settled at 100% of the guaranteed amount at one go, subject to the receipt of a certificate from the MLI to the effect that all avenues of recovering the amount in default have been exhausted; that there is no further scope for recovering the default amount and that the claim is found in order and complete in all respects.
- iv. In the event of default, the lending institution shall exercise its rights, if any, to take over the assets of the borrowers and the amount realized, if any, from the sale of such assets or otherwise shall first be credited in full by the lending institution to NCGTC before it claims the guaranteed amount.
- v. The lending institution shall be liable to refund the claim released by NCGTC together with penal interest at the rate of 4% above the prevailing Bank Rate, if such a recall is made by NCGTC in the event of deficiencies having existed in the matter of appraisal / renewal / followup / conduct of the Skill Loan or where lodgement of the claim was more than once or where there existed suppression of any material information on part of the lending institutions for the settlement of claims. The lending institution shall pay such penal interest, when demanded by NCGTC, from the date of the initial release of the claim by NCGTC to the date of refund of the claim.
- vi. The Guarantee Claim received directly from the branches or offices other than respective Head Office / Regional Office, or such other designated Office/Branches of Lending Institutions will not be entertained.
- vii. Claim payout (irrespective of the year of claims) on loans disbursed during FY 2024-25 and FY 2025-26 shall be capped at 20% of the total loans disbursed during the year to which the loan pertained. This cap of claim payout is now reduced to 15% w. e. f. FY 2026-27.

13. Subrogation of rights and recoveries on account of claims paid

- i. The lending institution shall furnish to NCGTC, as and when required by NCGTC, the details of its efforts for recovery, realizations and such other information. NCGTC shall not exercise any subrogation rights, and the responsibility of the dues shall rest with the lending institutions.
- ii. In the event of a borrower owing several distinct and separate debts to the lending institution and making payments towards any one or more of the same, whether the account towards which the payment is made is covered by the guarantee of the Fund or not, such payments shall, for the purpose of this clause, be deemed to have been appropriated by the lending institution to the debt

covered by the guarantee and in respect of which a claim has been preferred and paid, irrespective of the manner of appropriation indicated by such borrower or the manner in which such payments are actually appropriated.

- iii. Every amount recovered and due to be paid to NCGTC shall be paid without delay, and if any amount due to NCGTC remains unpaid beyond a period of 30 days from the date on which it was first recovered, interest shall be payable to NCGTC by the lending institution at the rate which is 4% over and above the Bank Rate for the period for which payment remains outstanding after the expiry of the said period of 30 days.

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

Appropriation of amount received from the lending institutions

The amount received from the lending institutions shall be appropriated in the order in which the AGF, penal interest and other charges have fallen due. If the AGF and the penal interest have fallen due on the same date, the appropriation shall be made first towards AGF and then towards the penal interest and finally, towards any other charges payable in respect of the eligible credit facility.

15. Appropriation of amount realized by the lending institution in respect of a credit facility after the guarantee has been invoked.

Where subsequent to NCGTC having released a sum to the lending institution towards the amount in default in accordance with the provisions contained in Para 12 of this scheme, the lending institution recovers money subsequent to the recovery proceedings initiated by it, the same shall be deposited by the lending institution with NCGTC, after adjusting towards the legal costs incurred by it for recovery of the amount. The Fund shall appropriate the same first towards the pending AGF, penal interest, and other charges due to the Fund, if any, in respect of the credit facility towards which the amount has been recovered by the lending institution, and the balance, if any, shall be appropriated in such a manner so that losses on account of deficit in recovery of the credit facility between NCGTC and the lending institution are in the proportion of 75% and 25% respectively.

16. Fund's liability to be terminated in certain cases

- i. If the liabilities of a borrower to the lending institution on account of Skill Loan guaranteed under this Scheme are transferred or assigned to any other borrower and if the conditions as to the eligibility of the borrower and the amount of the Skill Loan and any other terms and conditions, if any, subject to which the Skill Loan can be guaranteed under the Scheme are not satisfied after the said transfer or assignment, the guarantee in respect of the Skill Loan shall be deemed to be terminated as from the date of the said transfer or assignment.
- ii. If a borrower becomes ineligible for being granted Skill Loan under the Scheme, the liability of NCGTC in respect of Skill Loan granted to him/her by a lending institution under the Scheme shall be limited to the liability of the borrower to the lending institution as on the date on which the borrower becomes so ineligible, subject, however, to the limits on the liability of NCGTC fixed under this Scheme.

17. Returns and Inspections

- i. The lending institution shall submit such statements and furnish such information as and when required by NCGTC in connection with Skill Loan under this Scheme.
- ii. The lending institution shall also furnish to NCGTC all such documents, receipts, certificates and other writings as and when required by NCGTC and shall be deemed to have affirmed that the contents of such documents, receipts, certificates and other writings are true, provided that no claim shall be rejected and no liability shall attach to the lending institution or any officer thereof for anything done in good faith.

- iii. NCGTC shall, insofar as it may be necessary for the purposes of the Scheme, have the right to inspect or call for copies of the books of account and other records (including any book of instructions or manual or circulars covering general instructions regarding conduct of advances) of the lending institution, and of any borrower from the lending institution. Such inspection may be carried out through the officers of NCGTC or any other person appointed by NCGTC for the purpose of inspection. Every officer or other employee of the lending institution or the borrower, who is in a position to do so, shall make available to the officers of NCGTC or the person appointed for the inspection as the case may be, the books of account and other records and information which are in his/her possession.

18. Conditions imposed under the Scheme to be binding on the lending institution

- i. Any guarantee given by the Fund shall be governed by the provisions of the Scheme as if the same had been written in the documents evidencing such guarantee.
- ii. The lending institution shall as far as possible ensure that the conditions of any contract relating to an account guaranteed under the Scheme are not in conflict with the provisions of the Scheme but notwithstanding any provision in any other document or contract, the lending institution shall in relation to the Fund be bound by the conditions imposed under the Scheme.

19. Modifications and exemptions

- i. The Fund reserves to itself the right to modify, cancel or replace the Scheme, so that the rights or obligations arising out of, or accruing under a guarantee issued under the Scheme up to the date on which such modification, cancellation or replacement comes into effect, shall not be affected.
- ii. Notwithstanding anything herein contained, the Fund shall have a right to alter the terms and conditions of the Scheme in regard to an account in respect of which guarantee has not been issued / invoked as on the date of such alteration.
- iii. In the event of the Scheme being cancelled, no claim shall lie against the Fund in respect of facilities covered by the Scheme, unless the provisions contained in Clause (i) and (ii) of Para 12 of the Scheme are complied with by the lending institution prior to the date on which the cancellation comes into force.

20. Interpretation

If any question arises in regard to the interpretation of any of the provisions of the Scheme or of any directions or instructions or clarifications given in connection therewith, the decision of the Fund shall be final.

21. Supplementary and general provisions

In respect of any matter not specifically provided for in this Scheme, the Fund may make such supplementary or additional provisions or issue such instructions or clarifications as may be necessary for the purpose of the Scheme.

MANISHA SENSAMRMA, Sr. Economic Advisor